संख्या- 31/764/बयालिस-2015-210(विविध)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

विषय- जनपद रामपुर में क्रीड़ा संकुल (स्पोर्टस काम्पलेक्स) के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1337/नि0 रामपुर स्पोर्टस काम0/2013-14, दिनांक 19 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 22/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 22 मार्च, 2013 तथा शासनादेश संख्या- 894/बयालिस-2013-210(विविध)/2012, दिनांक 10 अप्रैल, 2013, शासनादेश संख्या- 391/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 03 मार्च, 2014, शासनादेश संख्या- 622/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 1054/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु 17.432 हे0 भूमि के क्रय एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु मूल लागत रू0 2407.50 लाख की जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या- 22/बयालिस-2012-210(विविध)/2012, दिनांक 22 मार्च, 2013 द्वारा रू0 316.00 लाख, शासनादेश संख्या- 894/बयालिस-2013-210(विविध)/2012, दिनांक 10.04.2013 द्वारा रू0 523.88 लाख, शासनादेश संख्या- 622/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रू0 476.12 लाख, शासनादेश संख्या- 655/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 11.03.2014 द्वारा रू0 434.28 लाख, शासनादेश संख्या- 1054/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 28 अप्रैल, 2014 द्वारा रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या- 1702/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 06.08.2014 द्वारा रू0 200.00 लाख, शासनादेश संख्या- 2268/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 द्वारा रू0 248.75 लाख एवं शासनादेश संख्या- 2929/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 08 जनवरी, 2015 द्वारा रू0 108.47 लाख कुल रू0 2407.50 लाख अर्थात सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त लागत में कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2476.33 लाख (बाउण्ड्रीवाल की लागत रू0 277.30 लाख एवं भूमि की लागत रू0 2199.03 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

(2)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी। स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(5)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6)- प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशा0 विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(7)- शेष शर्तें मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेंगी।

(8)- जनपद रामपुर में क्रीड़ा संकुल के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए शासनादेश संख्या- 391/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 03.03.2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं निर्माण इकाई की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जाये।

(11)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भूमि का क्रय न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाये।

(12)- पुनरीक्षित प्रायोजना में मिट्टी भराई हेतु रू0 18.78 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण रू0 05.00 लाख की एकमुश्त धनराशि अनुमन्य की गयी है, अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए प्रशासनिक विभाग कृपया सम्पूर्ण कार्यवाही करेंगे, तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) (सदस्य व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उच्च धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुयी मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-49-जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के पंजीसंख्या- ई-5-477(1)/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 764(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, रामपुर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, रामपुर।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in